<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

श्रीमती सुरजीत हाडा बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 58 / 2020</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>08.06..20</td><td>दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित होने से पत्रावली आज पेशी पर ली गई। संक्षित में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्रीमती सुरजीत हाडा पत्नी स्व. चन्द्रसिंह हाडा, पता 175, किर्तीनगर सेक्टर सी, मगरा पूंजला, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.01..20 में उसके द्वारा (1) मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिनिर्णय दिनांक 30.10.2013 की अनुपालना में फतेहमल आचार्य पुत्र सोनाराम, आचार्यो का मोहल्ला, गली नं. 11, चानणा भाखर जोधपुर व अन्य से 33,62,627 /– की वसूली की जाने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार जोधपुर) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>